राजस्थान सरकार

न्यायालय अति. जिला कलक्टर करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी सुदर्शनसिह तोमर आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर 40/019 आर सी एम सए नं0 2019/00221 तारीख रजू 11.09.2019

1 गोपाल
2 कन्हैया } पिसरान स्व. रतन जाति नाई निवासी बाई जट्ट तहसील हिण्डौन
3 शिवदयाल

4 कैलाशी पुत्री स्व. रतन जाति नाई निवासी बाई जट्ट तहसील हिण्डौन

5 मीना पुत्री स्व. रतन जाति नाई निवासी बाई जट्ट तहसील हिण्डौन :—अपीलान्टस

बनाम

1 सरकार जरिये तहसीलदार हिण्डौन जिला करौली

— रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व नामान्तकरण संख्या 248 दिनांक 06.12.2004 तहसीलदार तहसील हिण्डौन

उपस्थितिः— 1 श्री मोहन अवस्थी वकील अपीलान्ट
2 पैरोकार सरकार तहसीलदार

निर्णय दिनांकः—28.11.2019

वाकेयत इस प्रकार है कि वकील अपीलान्ट ने राजस्थान भू— राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत रेस्पोडेण्ट के खिलाफ अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि खसरा नं. 814 रकवा 0.87 है0 वाके ग्राम वाई जट्ट तहसील हिण्डौन मे स्थित है जो कि अपीलान्ट के पिता रतन के नाम आराजी मे थी अपीलान्ट के पिता रतन की मृत्यु हो जाने पर विरासत के रूप मे नामान्तकरण संख्या 248 दिनांक 06.12.2004 के द्वारा वारीसान के नाम खोला गया है जिसमे वारीसान के रूप मे कन्हैया, शिवदयाल , सुरेश ,कैलाशी,मीना, भगवन्ती दर्ज किया गया है जबकि मृतक रतन के सही वारीस पुत्रो के रूप मे कन्हैया, शिवदयाल, गोपाल है तथा पुत्री कैलाशी व मीना है। नामान्तकरण दर्ज करते समय गोपाल के स्थान पर सुरेश दर्ज कर दिया गया है सुरेश नाम का कोई रतन के पुत्र नही है। आधार कार्ड ,पहचानपत्र, परिवार राशन कार्ड मे भी गोपाल पुत्र रतन दर्ज है। रतन की वेवा भगवंती का भी देहान्त हो चुका है इस नामान्तकरण की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 05.07.2019 को पटवारी हल्का से जमाबंदी की नकल लेने पर हुई है। अंत मे अपील अपीलान्ट मय दफा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थनापत्र शपथ पत्र पेश कर डिले कण्डोन फरमाते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया है।

अपील अपीलान्ट दर्ज पंजिका कर जरिये नोटिस रेस्पोडेण्ट को तलव किया गया जिसमे पेरोकार सरकार उपस्थित आया।

उभयपक्षकार अभिभाषकगण एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वकील अपीलान्ट ने अपने बहस कथन मे अपील मीमो को दोहराते हुए कथन कहा कि रतन के तीन पुत्र एवं दो पुत्रीयॉ तथा एक वेवा थी जिसमे से वेवा भगवन्ती फोत हो गई है तथा तीन पुत्र क्रमशः कन्हैया ,शिवदयाल व गोपाल है नामान्तकरण दर्ज करते समय गोपाल के स्थान पर सुरेश दर्ज कर दिया गया है। जबकि सुरेश नाम का कोई व्यक्ति रतन का पुत्र नही है इसी के साथ राशन कार्ड परिचय पत्र आधार कार्ड मे गोपाल पुत्र रतन दर्ज है इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा भी अपने सजरे मे गोपाल को ही रतन का पुत्र बताया गया है तथा 50 रूपये के नॉन जूडिसियत स्टॉम्प पर भी एक शपथ पत्र मय नोटरी पब्लिक से तस्दीक करा कर पेश कर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमावे।

पैरोकार सरकार ने दोराने बहस कथन में दोराने नामान्तकण दर्ज करते समय यही नाम बताने पर नामान्तकरण दर्ज किया गया था जिसका सजरा सरपंच ग्राम पंचायत बाई जट्ट द्वारा भी प्रमाणित किया है अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने बकील अपीलान्ट एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली मे उपलब्ध रिकॉर्ड एवं नामान्तकरण संख्या 248 तथा अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम बाईजट्ट मे रतन पुत्र चिरमोली जाति नाई फोत हो जाने पर उसकी विरासत के रूप मे पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट के नाम नामान्तकरण संख्या 248 ग्राम पंचायत को सजरा प्रमाणित करने के बाद दर्ज किया गया था जिसमें 3 पुत्र 2 पुत्री एवं वेवा का नाम दर्ज किया गया है पुत्रो में अपीलान्ट द्वारा गोपाल के स्थान पर सुरेश दर्ज करना गलत बताया गया है जिसकी ताहिद मे आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड ,पहचान पत्र एवं ग्राम पंचायत द्वारा जारी सजरा में सुरेश नाम का कोई पुत्र नही होना अंकित है। अपीलान्ट ने दोराने बहस एक शपथ पत्र 50 रूपये के नॉन जूडीसियल स्टॉम्प पर यह अंकित कर प्रस्तुत किया है कि सुरेश नाम का कोई व्यक्ति रतन लाल के वारीस नही है। गोपाल पुत्र रतन लाल है यह गलत दर्ज कर दिया गया है साथ ही सुरेश के स्थान पर गोपाल अगर राजस्व दस्तावेज , नामान्तकरण व जमाबंदी मे मेरा नाम दर्ज कर दिया जाता है ओर इस सुद्वी मे किसी सहखातेदार या अन्य दिगर व्यक्ति कोई आपत्ती है ओर वे लोग राज कोर्ट आदि आपराधिक प्रकरण दर्ज कराता है तो इसकी जिम्बेदारी स्वयं ने ली है साथ ही रतन की वेवा भगवन्ती भी फोत हो चुकि है जिससे विदित हो रहा है कि नामान्तकरण संख्या 248 में गोपाल के स्थान पर सुरेश गलत दर्ज कर दिया गया है जिसे सही करना एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार करना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा नामान्तकरण संख्या 248 निर्णय दिनांक 06.12.2004 वाके ग्राम बाईजट्ट तहसील हिण्डौन का अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार हिण्डौन को निर्देश दिये जाते है कि मृतक रतन पुत्र चिरमोली जाति नाई निवासी बाईजट्ट के बारीसान के रूप में कन्हैया , शिवदयाल, गोपाल पिसरान रतन , कैलाशी, मीना पुत्रीयॉ रतन जाति नाई के नाम नियमानुशार राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.12.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(सुदर्शन सिह तोमर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2020.01.21 16:07:32 IST
Reason: SelfAttested
Location: